

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर, मध्यप्रदेश

-:विविध संशोधन आदेश:-

क्रमांक 92/एक-11-1/कार्य.विभा.पत्र./सां.अनु./19

ग्वालियर, दिनांक 24-06-2026

प्रशासनिक कार्य सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालयीन विविध आदेश क्र. -175/एक-11-1/कार्य.विभा.पत्र./19 दिनांक 14.08.2025, 217/एक-11-1/कार्य.विभा.पत्र./19 दिनांक 12.11.2025 एवं विविध संशोधन आदेश 15/एक-11-1/कार्य.विभा.पत्र./19 दिनांक 30.01.2026 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1- उपरोक्त आदेशों में वर्णित व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर के समक्ष अंकित दायरा/वादमूल्य विलोपित किया जाकर निम्नानुसार सारणी में अंकित दायरा/वादमूल्य प्रतिस्थापित किया जाता है:-

स. क.	न्यायालय का नाम	वादमूल्य
1	श्रीमती रेनु यादव, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर	(रु. 5,00,001/- (पांच लाख एक रुपये) से रु. 15,00,000/- (पन्द्रह लाख रुपये) तक वाद मूल्यांकन के सिविल मामले तथा उनके उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले)
2	श्री सक्षम नरुला, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर	(रु. 80,00,001/- (अस्सी लाख एक रुपये) से रु. 90,00,000/- (नब्बे लाख रुपये) तक वाद मूल्यांकन के सिविल मामले तथा उनके उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले)
3	श्रीमती संजू नीतिश तिवारी, सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर	(रु. 15,00,001/- (पन्द्रह लाख एक रुपये) से रु. 25,00,000/- (पच्चीस लाख रुपये) तक वाद मूल्यांकन के सिविल मामले तथा उनके उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले)
4	श्रीमती पल्लवी बंसल, अष्टम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर	(रु. 45,00,001/- (पैंतालीस लाख एक रुपये) से रु. 55,00,000/- (पचपन लाख रुपये) तक वाद मूल्यांकन के सिविल मामले तथा उनके उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले)
5	श्रीमती नुरुन निशा अंसारी, नवम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर	(रु. 55,00,001/- (पचपन लाख एक रुपये) से रु. 70,00,000/- (सत्तर लाख रुपये) तक वाद मूल्यांकन के सिविल मामले तथा उनके उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले)
6	श्री अजय प्रताप सिंह यादव, दशम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर	(रु. 70,00,001/- (सत्तर लाख एक रुपये) से रु. 80,00,000/- (अस्सी लाख रुपये) तक वाद मूल्यांकन के सिविल मामले तथा उनके उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले)
7	श्री एम.एन.एच. रजवी, एकादशम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर	(रु. 35,00,001/- (पैंतीस लाख एक रुपये) से रु. 45,00,000/- (पैंतालीस लाख रुपये) तक वाद मूल्यांकन के सिविल मामले तथा उनके उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले)
8	श्री व्ही.पी.एस. चौहान, त्रयोदशम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर	(रु. 25,00,001/- (पच्चीस लाख एक रुपये) से रु. 35,00,000/- (पैंतीस लाख रुपये) तक वाद मूल्यांकन के सिविल मामले तथा उनके उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले)

9	श्री सीताराम दास, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर के पंचम अति. न्यायाधीश, ग्वालियर	(रु. 90,00,001/- (पच्चीस लाख एक रुपये) से रु. 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) तक वाद मूल्यांकन के सिविल मामले तथा उनके उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले)
---	---	---

2- उपरोक्त आदेशों में वर्णित व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, डबरा के समक्ष अंकित दायरा/वादमूल्य विलोपित किया जाकर निम्नानुसार सारणी में अंकित दायरा/वादमूल्य प्रतिस्थापित किया जाता है:-

स. क्र.	न्यायालय का नाम	वादमूल्य
1	श्री अर्पित जैन, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, डबरा	(रु. 5,00,001/- (पांच लाख एक रुपये) से रु. 20,00,000/- (बीस लाख रुपये) एवं (रु. 40,00,001/- (चालीस लाख एक रुपये) से रु. 60,00,000/- (साठ लाख रुपये) तक वाद मूल्यांकन के सिविल मामले तथा उनके उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले)
2	श्रीमती आयुषी अग्रवाल, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, डबरा	(रु. 30,00,001/- (तीस लाख एक रुपये) से रु. 40,00,000/- (चालीस लाख रुपये) एवं (रु. 60,00,001/- (साठ लाख एक रुपये) से रु. 80,00,000/- (अस्सी लाख रुपये) तक वाद मूल्यांकन के सिविल मामले तथा उनके उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले)
3	श्री देवांश अग्रवाल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, डबरा के अति. न्यायाधीश, डबरा	(रु. 20,00,001/- (बीस लाख एक रुपये) से रु. 30,00,000/- (तीस लाख रुपये) एवं (रु. 80,00,001/- (अस्सी लाख एक रुपये) से रु. 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) तक वाद मूल्यांकन के सिविल मामले तथा उनके उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले)

नोट:- उपरोक्त नवीन वादमूल्य का प्रभाव न्यायालयों में पूर्व से लंबित प्रकरणों पर नहीं पड़ेगा।

3- विविध आदेश क्र.-175/एक-11-1/कार्य.विभा.पत्र./19 दिनांक 14.08.2025 के पृष्ठ क्र. 41 पर अंकित सरल क्र. 11 की इबारत विलोपित की जाकर उसके स्थान पर निम्नानुसार नवीन इबारत प्रतिस्थापित की जाती है:-

"11. जिला मुख्यालय पर व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय, चाहे वर्तमान में रिक्त हों या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हों, से संबंधित सभी कार्य दशम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर द्वारा संपादित किये जायेंगे। उक्त न्यायाधीश के अवकाश पर रहने पर अथवा अन्यथा अनुपस्थित रहने पर प्रभार बढ़ते हुए कम में रहेगा।"

4- विविध आदेश क्र.-175/एक-11-1/कार्य.विभा.पत्र./19 दिनांक 14.08.2025 के पृष्ठ क्र. 42 पर अंकित सरल क्र. 20 की इबारत विलोपित की जाकर उसके स्थान पर निम्नानुसार नवीन इबारत प्रतिस्थापित की जाती है:-

"20. तहसील डबरा में अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय, चाहे वर्तमान में रिक्त हों या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हों, से संबंधित सभी कार्य तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, डबरा द्वारा संपादित किये जायेंगे।"

5- विविध आदेश क्र.-175/एक-11-1/कार्य.विभा.पत्र./19 दिनांक 14.08.2025 के पृष्ठ क्र. 42 पर अंकित सरल क्र. 25 की इबारत विलोपित की जाकर उसके स्थान पर निम्नानुसार नवीन इबारत प्रतिस्थापित की जाती है:-

25. मुख्यालय ग्वालियर में विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के पदनाम से पूर्व में निराकृत सिविल वाद, निष्पादन प्रकरण उक्त न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये जाकर निम्नानुसार न्यायालयों में प्रस्तुत किए जाएंगे:-

विशेष न्यायालय रेल्वे	-	दशम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर
विशेष न्यायालय नगर निगम	-	एकादशम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर
किशोर न्याय बोर्ड	-	त्रयोदशम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर
ग्राम न्यायालय	-	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश, ग्वालियर

मुख्यालय ग्वालियर में विशेष न्यायालय एन.आई. एक्ट के पीठासीन अधिकारी के पदनाम से पूर्व में निराकृत सिविल वाद, निष्पादन प्रकरण उक्त न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये जाकर बढ़ते क्रम में (विशेष न्यायालय को छोड़कर) आगामी न्यायालय में प्रस्तुत किये जाएंगे।

उक्त संशोधन आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी माना जावेगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर

पृष्ठांकन क्रमांक 979 / एक-11-1 / कार्य विभा.नस्ती / सां.अनु. / 19 ग्वालियर, दिनांक 24-6-26
प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर
2. श्रीमान् प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, म.प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ-ग्वालियर
3. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर
की ओर ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त न्यायिक अधिकारी ग्वालियर/डबरा/भितरवार को ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. प्रभारी अधिकारी, सेन्ट्रल फाईलिंग काउंटर/पूछताछ केन्द्र, ग्वालियर/डबरा
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. अध्यक्ष, उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ, ग्वालियर/डबरा/भितरवार
की ओर ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
8. जे.एस.ए. कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय-ग्वालियर
की ओर उपरोक्तानुसार ई-मेल की कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. प्रस्तुतकार, न्यायालय प्रधान जिला न्यायाधीश, ग्वालियर।
10. ऑफिस मोहरर, जिला न्यायालय ग्वालियर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर

